सिविल मिसेलेनियस

माननीय अदालत डी. के. महाजन और बी. आर. तुली, जे. जे. मेसर्स नौहर चंद चानन राम,-याचिकाकर्ता बनाम आयकर आयुक्त,-उत्तरदाता। आयकर संदर्भ सं. 1965 का 21.

6 अक्टूबर, 1970

आयकर अधिनियम (1922 का 11)-धारा 10,12 और 26-क-संपत्ति के मालिकों द्वारा पट्टे पर देने और उससे किराये की आय अर्जित करने के लिए गठित भागीदार-ऐसी साझेदारी-चाहे वह धारा 26-क के तहत पंजीकरण का हकदार हो।

माना गया कि आयकर अधिनियम की धारा 26-ए के तहत, यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई वैध रूप से गठित साझेदारी है। यदि कोई कानूनी साझेदारी है तो वह इस धारा के तहत पंजीकरण का हकदार है। इस अधिनियम की धारा 10 और 12 का साझेदारी अधिनियम या आयकर अधिनियम की धारा 26-ए के तहत इसके पंजीकरण के तहत साझेदारी की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है। संयुक्त संपत्ति के मालिकों के लिए अपनी संपत्ति को पट्टे पर देने और उससे आय अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए साझेदारी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। साझेदारी अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस तरह की साझेदारी को अवैध बनाता है और इसलिए यह आयकर अधिनियम की धारा 26-ए के तहत पंजीकृत होने का हकदार है।

(Para 6).

आयकर अपीलीय अधिकरण (दिल्ली पीठ 'क') द्वारा आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 61 (1) के अधीन 12 अप्रैल, 1965 को I.T.A. से उद्भूत विधि के निम्नलिखित प्रश्न पर राय के लिए किया गया संदर्भ। निर्धारण वर्ष 1960-61 के संबंध में 1962-63 की संख्या 5852।

"क्या न्यायाधिकरण ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कानूनी रूप से खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया कि कोई व्यवसाय नहीं किया गया था और इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 26-ए के तहत पंजीकरण का हकदार कानून में कोई भागीदारी नहीं थी"

याचिकाकर्ता की ओर से राजेंद्र नाथ मित्तल और डी. के. गुप्ता, अधिवक्ता। प्रतिवादी के लिए डी. एन. अवस्थी और बी. एस. गुप्ता, अधिवक्ता।

फैसला

महाजन, जे.

- 1) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली पीठ 'ए' ने हमारी राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित किया है: "क्या न्यायाधिकरण ने इस निष्कर्ष को गढ़ने में कानूनी रूप से खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया कि कोई व्यवसाय नहीं किया गया था और इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 26ए के तहत पंजीकरण का हकदार कानून में कोई साझेदारी नहीं थी?
- 2) निर्धारिती ने 20 अप्रैल, 1957 को साझेदारी का विलेख किया। कुल मिलाकर वे 10 साथी थे। ये दस साथी नौहर चंद चनन राम और बिशन मल रेलु राम के नाम से जाने जाने वाले दो परिवारों से निकले थे। विवाद निर्धारण वर्ष 1960-61 से संबंधित है और आयकर अधिनियम की धारा 26-ए के तहत फर्म के पंजीकरण के नवीकरण के लिए निर्धारिती के आवेदन पर उत्पन्न हुआ, जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है। खंड (3) में भागीदारी विलेख में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है:-"फर्म का व्यवसाय मनसा में कपास कताई और प्रेसिंग कारखाने को चलाने का है और होगा, या तो स्वयं या पट्टे पर और अन्य संबद्ध व्यापारों पर और ऐसे अन्य मार्गों पर जो भागीदार समय-समय पर लेना चाहें।
- 3) विलेख में सामान्य साझेदारी खंड भी शामिल थे और उन्हें संदर्भित करना आवश्यक नहीं था। विलेख में भागीदारों के शेयरों को निर्दिष्ट किया गया था। आयकर अधिकारी, बी-वार्ड, भिटंडा ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि 20 अप्रैल, 1957 के समझौते के तहत कोई साझेदारी नहीं थी और कोई भी कभी अस्तित्व में नहीं आया था। करदाताओं ने आयकर अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपीलीय सहायक आयुक्त के पास अपील की। अपीलीय सहायक आयुक्त ने आयकर अधिकारी के निर्णय को उलट दिया और कहा कि "यह नहीं कहा जा सकता है कि विचाराधीन कारखाना वाणिज्यिक संपत्ति नहीं है। इसके अलावा यह तथ्य कि यह दूसरों को दिया गया है और अपीलार्थी द्वारा स्वयं इसका उपयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा लाभ के प्रयोजनों के लिए कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जा रही है। इसके अलावा ऐसे मामलों में फर्म के गठन के लिए साझेदारी अधिनियम में कोई रोक नहीं है। धारा 26-ए के तहत फर्म के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए कानून की अन्य सभी आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया है। पंजीकरण के अनुदान पर कोई कानूनी या अन्यथा रोक नहीं है।"
- 4) तत्कालीन आयकर अधिकारी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में वर्तमान अपील में अपीलीय सहायक आयुक्त के फैसले को उलट दिया। ट्रिब्यूनल के समक्ष जो कारण प्रचलित थे, वे उनके अपने शब्दों में बताए जाने चाहिए-
 - "2 (a) हम संक्षेप में तथ्यों का सारांश देते हैं: मेसर्स नोहरचंद-चनानराम मनसा (जिसे इसके बाद असिसी कहा जाता है) का गठन दिनांक 20 अप्रैल, 1957 के साझेदारी विलेख के तहत किया गया था।
 - 10 भागीदार थे जैसा कि नीचे दिखाया गया है: -
 - (i) स्वर्गीय नोहरचंद के पुत्र श्री रामजिदास..... 1/41th हिस्सा
 - (ii) स्वर्गीय नोहरचंद के पुत्र श्री पुरूषोतमदास......1/41 th हिस्सा

(iii) स्वर्गीय बिष्णामल के पुत्र श्री चनानराम......1/12th हिस्सा (iv) स्वर्गीय बिष्णामल के पुत्र श्री बनारसीदास.......1/12th हिस्सा (v) स्वर्गीय बिश्नामल के पुत्र श्री बाबूराम.....1/12th हिस्सा (vi) स्वर्गीय रेल्राम के पुत्र श्री राजाराम के पुत्र श्री बाबूराम......1/20th हिस्सा (vii) स्वर्गीय रेलुराम के पुत्र श्री रामकरणदास.....1/20th हिस्सा (viii) स्वर्गीय रेल्राम के पुत्र श्री द्वारकादास...... 1/20th हिस्सा (ix)स्वर्गीय रेलुराम के पुत्र श्री बुज लाल.......1/20th हिस्सा (x) स्वर्गीय रेलुराम के पुत्र श्री रोशन लाल.....1/20th हिस्सा b) उपरोक्त सभी दस सज्जन दो परिवारों के थे। पहले परिवार को "नोहरचंद चननराम" और दूसरे परिवार को "बिशनमल रेलुराम" के नाम से जाना जाता था। दोनों परिवारों के सदस्य अब आपस में बंट गए हैं। c) इन परिवारों के पास एक जिनिंग और प्रेसिंग कारखाना था जिसे 1935 में स्थापित किया गया था। इस कारखाने को "नोहरचंद-चनान राम कारखाने" के नाम से जाना जाता था। समय के दौरान, परिवारों में कई विभाजन थे और प्रत्येक विभाजन पर निर्धारिती फर्म का पुनर्गठन किया गया था। a) वर्ष 1951 से और उसके बाद (मूल्यांकन वर्ष *। 1952-53) कारखाने को दूसरों को पट्टे पर दिया गया था। पिछले वर्ष (i.e., वर्ष 1959-60) में कारखाने को 13 व्यक्तियों की एक अन्य साझेदारी (जिसे इसके बाद पट्टेदार-भागीदारी कहा जाता है) को पट्टे पर दिया गया था जैसा कि नीचे दिखाया गया है: – (i) स्वर्गीय बिष्णामल के पुत्र श्री चनानराम......9 nP. share. (ii) स्वर्गीय बिष्णामल के पुत्र बाबूराम......9 nP. share. (iii) स्वर्गीय बिष्णामल के पुत्र श्री बनारसीदास9 nP. share. (iv) स्वर्गीय रेलुराम के पुत्र श्री राजाराम......15 nP. share. (v) स्वर्गीय नोहरचंद के पुत्र श्री परशोतमदास।......7 nP. share. (vi) स्वर्गीय नोहरचंद के पुत्र श्री रामजिदास nP. share. (vii) स्वर्गीय मुन्नालाल के पुत्र श्री फकीर चंद9 nP. share. (viii) स्वर्गीय गोंडामाल के पुत्र श्री शादीराम....... nP. share. (ix) स्वर्गीय दौलतराम के पुत्र श्री नोहरचंद जिंदल............................... nP. share.

- (x)स्वर्गीय चेतुमल के पुत्र श्री रामप्रसाद,6 nP. share.
- (xi) स्वर्गीय रामदत्तमल के पुत्र श्री परभद्याल,...... 6 nP. share.
- (xii) स्वर्गीय नंदराम के पुत्र श्री मदनलाल, nP. share.
- (xiii) स्वर्गीय भोलामल के पुत्र श्री सुचमल......6 nP. share.

इन दोनों चिंताओं में पहले छह भागीदार समान थे।

- e) यह देखा जा सकता है कि स्वर्गीय रेलुराम के पाँच पुत्रों में से केवल एक, श्री राजाराम, नई साझेदारी में शामिल हुए और अन्य चार नहीं हुए।
- f) हमसे एक प्रश्न पर निर्धारिती के विद्वान वकील ने कहा कि निर्धारिती ने दो कारणों से व्यवसाय नहीं किया: –
- i) भागीदारों के पास पर्याप्त वित्त नहीं था और वे आगे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे; तथा
- ii) स्वर्गीय रेलुराम के पाँच बेटों के बीच विवाद थे और वे नई साझेदारी में शामिल नहीं होना चाहते थे।
- g) नई साझेदारी में स्वर्गीय गोंडा माई के पुत्र श्री शादीराम एक वित्तीय भागीदार के रूप में आए और अंतिम छह बाहरी लोग थे जो कामकाजी भागीदार के रूप में शामिल हुए।
- h) हमने साझेदारी के विलेख का भी अध्ययन किया है और यह निर्धारित करता है कि भागीदार या तो स्वयं व्यवसाय कर सकते हैं या वे कारखाने को पट्टे पर दे सकते हैं।
- 3(a) उपरोक्त तथ्यों पर हम सोचते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती ने कोई व्यवसाय किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि "नोहरचंद चनानराम फैक्ट्री" एक समय में एक वाणिज्यिक संपत्ति थी, लेकिन जब इसे पट्टे पर दिया गया तो यह बंद हो गया क्योंकि इसे पूरी तरह से पट्टे पर दिया गया था और उसके बाद मालिकों ने कभी भी कारखाने में काम नहीं किया। चार भागीदार नई पट्टे की साझेदारी में शामिल भी नहीं हुए और जाहिर है, वे व्यवसाय को जारी नहीं रखना चाहते थे। हमारी राय में, संपत्ति अब एक वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में अपने चरित्र को बनाए नहीं रखती है और यह केवल एक पूंजी निवेश है जिससे मालिक किराये की आय प्राप्त करते हैं।
- b) इस तथ्य का एक और निष्कर्ष निकालना आवश्यक है कि क्या पट्टा केवल व्यवसाय का एक अस्थायी चरण था? हम पाते हैं कि यह एक अस्थायी चरण नहीं था क्योंकि साझेदारी ने कभी भी जिनिंग व्यवसाय नहीं किया। इसी तरह, हम इस निष्कर्ष को भी दर्ज करते हैं कि जब मुख्य व्यवसाय किया जाता था तो यह मामला नहीं था, बल्कि एक सहायक हिस्से को छोड़ दिया गया था। पूरे कारखाने को एक इकाई के रूप में पट्टे पर दिया गया था।
- c) "व्यावसायिक गतिविधियों" और "किराएदार की गतिविधि" के बीच आर्थिक अंतर को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारिती फर्म ने अपनी स्थापना के बाद से एक 'किराएदार' की तरह काम किया है और इसने कभी भी कोई व्यवसाय नहीं किया है। इसलिए हम इस निष्कर्ष को दर्ज करेंगे कि "कारखाने को पट्टे पर देना" मामले की परिस्थितियों में व्यवसाय की प्रकृति की गतिविधि नहीं थी।

a) यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि साझेदारी पंजीकरण का हकदार नहीं है क्योंकि एक वैध साझेदारी की मौलिक आवश्यकता अर्थात् "व्यवसाय जारी रखना" पूरी नहीं होती है।

- 5) निर्धारिती इस आदेश से असंतुष्ट थे और उन्होंने अधिनियम की धारा 66 (1) के तहत न्यायाधिकरण का रुख किया। इस प्रकार अधिकरण ने अपने दिनांक 12 अप्रैल, 1965 के आदेश द्वारा विधि के प्रश्न को हमारी राय के लिए निर्दिष्ट किया।
- 6) निर्धारिती के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि साझेदारी संपत्ति को पट्टे पर देने और उससे आय अर्जित करने के उद्देश्य से साझेदारी में प्रवेश करने के लिए संयुक्त संपत्ति के मालिकों के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। विभाग के विद्वान वकील द्वारा संबोधित एकमात्र तर्क यह था कि किराये की आय अर्जित करना व्यवसाय से आय नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यह यह निर्धारित करने के उद्देश्य से पुरी तरह से अप्रासंगिक मामला है कि क्या साझेदारी को अधिनियम की धारा 26-ए के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए या नहीं। यह देखना होगा कि क्या कोई वैध रूप से गठित साझेदारी है और उस उद्देश्य के लिए किसी को साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करना होगा। विभाग के विद्वान वकील साझेदारी अधिनियम में किसी भी प्रावधान को इंगित करने में असमर्थ थे जो इस तरह की साझेदारी को अवैध बना देगा। यह विवादित नहीं था कि यदि कोई कानूनी साझेदारी थी तो वह अधिनियम की धारा 26-ए के तहत पंजीकरण का हकदार था। इसलिए, विवाद केवल इस छोटी सी बात पर आधारित था कि क्या विचाराधीन साझेदारी एक कानूनी साझेदारी है या नहीं। विद्वान वकील ने न्यू सावन शुगर एंड गुर रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया. क्योंकि उनके इस तर्क के लिए कि ऐसी साझेदारी की आय केवल किराये की आय है, केवल धारा 12 के तहत आकलन योग्य होगी और अधिनियम की धारा 10 के तहत नहीं। यह एक ऐसा मामला है जिसका अधिनियम की धारा 26-ए के तहत साझेदारी के पंजीकरण से कोई लेना-देना नहीं है। यह हो सकता है कि इस साझेदारी की आय का आकलन धारा 12 के तहत किया जाना हो, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें घोषणा करने के लिए नहीं कहा जाता है। हमें केवल यह निर्धारित करना है कि क्या अधिनियम की धारा 12 या 1 धारा 10 अधिनियम की धारा 26-ए के तहत पंजीकृत साझेदारी के रास्ते में आती है। हमारी राय में इन प्रावधानों का साझेदारी अधिनियम या आयकर अधिनियम की धारा 26-ए के तहत इसके पंजीकरण के तहत साझेदारी की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है। विद्वान वकील ने तब त्रिपुरा-सुंदरी कॉटन प्रेस कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आंध्र प्रदेश के आयुक्त पर भरोसा किया। जहाँ तक वर्तमान विवाद का संबंध है, इस मामले का कोई संबंध नहीं है। वास्तव में, यह एक ऐसा मामला है जो पहले से ही निर्दिष्ट सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले के अनुरूप है। विभाग के विद्वान वकील द्वारा जिस अगले निर्णय पर भरोसा किया गया था. वह है नारायण-स्वदेशी वीविंग मिल्स बनाम अतिरिक्त लाभ कर आयुक्त। यह अतिरिक्त लाभ कर अधिनियम की धारा 2 (5) के तहत एक निर्णय था। यह निर्णय पूरी तरह से अधिनियम में "व्यवसाय" की विशिष्ट परिभाषा पर आधारित है। जिस प्रश्न का हमें निर्धारण करना है, वह इस मामले में विवाद का विषय नहीं था। इस प्रकार इसका हमारे सामने के मामले से कोई लेना-देना नहीं है। दल चंद एंड संस बनाम आयकर आयुक्त, पटियाला के रूप में रिपोर्ट किया गया निर्णय जो बिंदु के करीब है। इस मामले में निर्णय मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह द्वारा दिया गया था और यह विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित रूप में देखा गया थाः –

"कि एक व्यवसाय कई तरीकों से किया जा सकता है और एक तरीका यह है कि एक वाणिज्यिक संपत्ति को इस तरह से चलाया जाए और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वाणिज्यिक संपत्ति, एक विशेष समय पर, लाभ के लिए अधिक उत्तरदायी पाई जाए यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पट्टेदार के रूप में चलाने की अनुमति दी जाए। दोनों ही मामलों में कारखाने का मालिक ऐसी संपत्ति से लाभ अर्जित करने का व्यवसाय करता है। जब तक किसी व्यावसायिक संपत्ति का इस तरह से दोहन किया जाता है और उससे लाभ या लाभ अर्जित किया जाता है, तब तक व्यवसाय के लाभ और लाभ समान होते हैं, चाहे वाणिज्यिक संपत्ति का मालिक उसका कितना भी दोहन करे। इसलिए जब यह कहा जाता है कि क्या उन्होंने स्वयं व्यवसाय किया या नहीं, तो इसका मतलब केवल यह है कि क्या उन्होंने कोई व्यावसायिक गतिविधि की जिससे उन्हें लाभ हुआ या लाभ हुआ। एक बार जब वाणिज्यिक परिसंपत्ति के उपयोग से ही लाभ या लाभ हो जाता है, तो आगे का विवरण यह है कि क्या मालिक स्वयं वाणिज्यिक परिसंपत्ति चलाता था या इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए पट्टेदार के रूप में चलाया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उतना ही लाभ या लाभ कमाता है और वह व्यावसायिक संपत्ति के संचालन से और उसके परिणामस्वरूप भी उतना ही कमाता है। इसलिए एक निर्धारिती द्वारा कारखाने के पट्टे से प्राप्त आय व्यवसाय से आय बन जाती है और आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत आकलन योग्य हो जाती है।"

यह निर्णय स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पट्टे पर दी गई संपत्ति या वाणिज्यिक परिसंपत्तियों का व्यवसाय करने के लिए कोई साझेदारी नहीं हो सकती है। जहां तक किराये की आय का संबंध है, यह प्रश्न कि क्या ऐसी आय अधिनियम की धारा 10 या धारा 12 के तहत निर्धारणीय है, एक ऐसा मामला है, जैसा कि पहले ही बताया गया है, हमें इसका उच्चारण करने के लिए नहीं कहा गया है और किसी भी मामले में यह एक ऐसा मामला है जिसे तथ्यों और प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की परिस्थितियों पर निर्धारित किया जाना है।

7) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए हम अपनी राय के लिए संदर्भित प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में लौटाते हैं। मूल्यांकनकर्ताओं। उनकी लागतें होंगी जिनका आकलन रु। 200 है।

बी. आर. तुली, जेः मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

कार्तिक शर्मा प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी *नृह, हरियाणा*